

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
[भर्ती प्रकोष्ठ/ RECRUITMENT CEL]

फ.सं./No.F. 2-10/2018- स्था.(भर्ती प्रकोष्ठ)/Estt. (RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

Ansari Nagar, New Delhi-110029

दिनांक/Dated

12 SEP 2019

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय:- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में मुख्य मेडिकल सोशल सर्विस अधिकारी के पद पर पदोन्नति।

Subject:- Promotion to the post of Chief Medical Social Service Officer at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 23.08.2019 को मुख्य मेडिकल सोशल सर्विस अधिकारी के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणामस्वरूप एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत सुश्री वेना बेलानी, सुपरवाइजिंग मेडिकल सोशल सर्विस अधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य मेडिकल सोशल सर्विस अधिकारी वेतन पे. मैट्रिक्स के लेवल -11 (पूर्व संशोधित पी. बी. 3 रु 15600-39100 + ग्रेड पे. रु. 6600/-) पर पदोन्नत किया जाता है। उनकी वरिष्ठता मुख्य मेडिकल सोशल सर्विस अधिकारी के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की तिथि अर्थात् 23.08.2019 से प्रभावी होगी।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Chief Medical Social Service Officer held on 23.08.2019 and its acceptance by the Competent Authority, Ms. Veena Belani, Supervising Medical Social Service Officer is promoted to the post of Chief Medical Social Service Officer in Level-11 in the pay matrix (pre-revised PB-3 Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 6600) from the date she assumes the charge of the post of Chief Medical Social Service Officer. Her seniority in the post of Chief Medical Social Service Officer will be effective from the date of meeting of Departmental Promotion Committee i.e. 23. 08.2019

वह मुख्य मेडिकल सोशल सर्विस अधिकारी का पदभार ग्रहण करने की तिथि से, दिल्ली/नई दिल्ली/एन.सी.आई., बाढसा झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी गाजियाबाद और वर्तमान में बल्लबगढ़ में स्थित रूरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगी।

She will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of her status stationed at Delhi/New Delhi/in the Rural Centre presently located at Ballabgarh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad and NCI, Jhajjar, and at any other Centre opened by the Institute in future, from the date she assumes the charge to the post of Chief Medical Social Service Officer.

उन्हे यह सलाह दी जाती है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ. आर. 22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से तय करने का विकल्प चुनें बर्शते उन्हे आंशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया।

She is advised to exercise her option for fixation of her pay under FR-22 (1) either from the date of her promotion to the post or from the date of drawl of her next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided she has not been granted financial up gradation under ACP/MACP Scheme.

Contd...2...

वह दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षा पर रहेंगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान, उनसे संतोषजनक सेवाएं प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना नोटिस, दिए अथवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएंगी।

She will be on probation for a period of two years. During the period of probation, she will be required to put in satisfactory services failing which her services can be terminated at any time without any notice or reason being assigned for the same.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and condition of her service will be the same as are applicable to other employees of the Institute

मुख्य मेडिकल सोशल सर्विस अधिकारी के पद पर पदोन्नति की पेशकश सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एस.एल.पी. के परिणाम या इस संबंध में डी.ओ.पी.टी. से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

The offer of promotion to the post of **Chief** Medical Social Service Officer is subject to outcome of the SLP pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.


12/9/19

(बी. एस. गिल / B.S. Gill)

प्रशासनिक अधिकारी/ Administrative Officer


सुश्री वीना बेलानी/ Ms. Veena Belani

सुपरवाइजिंग मेडिकल सोशल सर्विस अधिकारी / Supervising Medical Social Service Officer

द्वारा/Thr:- वरीष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सी.एन.सी./ Senior Admn. Officer, C.N. Centre

प्रतिलिपि:

- 1 चीफ सी.टी.सी./एन.एस.सी./Chief CTC/NSC
- 2 वरीष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सी.एन.सी./ Senior Admn. Officer, C.N. Centre
- 3 स्थापना अनुभाग (सी.एन.सी.)/Establishment Section (C.N. Centre)
- 4 लेखा विभाग II/III/ सी.एन.सी. / Accounts Section, II/III/ C.N. Centre.
- 5 जी.पी.एफ./संपदा विभाग/सामान्य विभाग/ ए.सी.आर सेल /GPF Section/General Section/Estate Section/ ACR Cell
- 6 एस.सी.विभाग/एस.टी विभाग/सतर्कता विभाग/लीगल सेल/ SC/ST Cell/Vigilance Cell/Legal Cell
- 7 प्रो. इन्चार्ज- कम्प्यूटर विभाग- कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें।
Professor In Charge- Computer Facility- kindly upload the same on the Institute website
- 8 डाटा संरक्षण हेतु भर्ती प्रकोष्ठ के संबंधित सहायक
Dealing Assistant, Recruitment Cell


सेतीव कुमार

11.58